

**No. A-12018/5/2022-Admn.I Prtg-UD**  
**Government of India**  
**Ministry of Housing and Urban Affairs**  
**Directorate of Printing**  
**'B' Wing, 4<sup>th</sup> Floor, Minto Road Press Complex,**  
**New Delhi**

Date : 29<sup>th</sup> August, 2025

**OFFICE MEMORANDUM**

SUB : Inviting comments on the proposed revision/amendment in the Recruitment Rules (RRs) of Group 'C' (Industrial & Non-Industrial) posts of Govt. of India Presses-reg.

The undersigned is directed to refer to the subject cited above and to inform that the Directorate of Printing is in the process of revising/amending Recruitment Rules for the following Group 'C' (Industrial & Non-Industrial) posts of Government of India Presses under the administrative control of Directorate of Printing:-

Sr. No.	Name of Post	Sr. No.	Name of Post
1.	U. D. Clerk	12.	Reader
2.	L.D. Clerk	13.	Copy Holder
3.	Stenographer Gr. II	14.	Electrician
4.	Pharmacist	15.	Wireman
5.	Asstt. Caretaker	16.	Welder
6.	Section Holder (Bdy)	17.	Machine Assistant (Offset)
7.	Binder	18.	Machine Attendant (Offset)
8.	Asstt. Binder	19.	Silk Screen Operator
9.	Head Mechanic (P&B)	20.	Asstt. Silk Screen Operator
10.	Mechanic (P&B)	21.	Asstt. Inspector Control
11.	Asstt. Mechanic (P&B)		

2. In accordance with DoPT's OM dated 13.10.2015, The Draft Recruitment Rules (copy enclosed – English & Hindi version) for the aforementioned posts are being uploaded on the Directorate of Printing's website for a period of 30 days to invite comments from stakeholders.

3. All stakeholders are requested to review the draft RRs and submit their inputs, preferably in a tabular format (Word file), clearly specifying:

- Column Number
- Original content
- Suggested modification

4. The inputs should be submitted no later than 30 days from the date of issue of this OM preferably via email to [sindhu.pillai@gov.in; ashwani.kumar35@gov.in].

5. This issues with the approval of the Competent Authority.

  
(Ishwar Dutt Kashyap)  
Deputy Director (A.I)

To

1. Managers of all Government of India Presses with a request to circulate the copies of the Draft RRs for obtaining comments of the stakeholders.
2. The Deputy Manager (P&P Section), Room No. 402-B, Government of India Press Complex Minto Road, New Delhi – 110 002 with a request to upload the Draft RRs on Recruitment cell web page and What's New Tab of the Directorate of Printing's (DoP's) website.

**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. उच्च श्रेणी लिपिक	सत्तावन 57* (2024) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25,500-81,100 रु)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति:</b> ऐसा अवर श्रेणी लिपिक जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900 - 63,200) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण-1:</b> जहां प्रोन्नति के लिए ऐसे कनिष्ठों जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा एक वर्ष से अधिक कम न हो तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि यदि विहित है सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए 01 जनवरी, 2016 या वह तिथि जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोगकी सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, अधिकारी</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>1 उप-निदेशक (प्रशासन/ मुख्यालय) महाप्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय</p> <p align="right">—अध्यक्ष</p> <p>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद</p> <p align="right">—सदस्य</p> <p>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)</p> <p align="right">—सदस्य</p>	लागू नहीं होता

			<p>द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या</p> <p>(ii) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या समतुल्य ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उद्देश्यहेतु 01 जनवरी, 2016 या वह तिथि जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकारके उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्षसे अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथिको 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>		
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**अनुसूची**

पद का नाम	पदसंख्या	वर्गीकरण	वेतनमैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अवर श्रेणी लिपिक	तिरासी 83* (2024)  (कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900 - 63,200)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष की जाएगी) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी आयोग द्वारा यथानिर्धारित तिथि होगी (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जाएगी, वहां अन्तिम तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेशके लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, संघक्षेत्र अण्डमानऔर निकोबार द्वीप समूह या संघक्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण।  अंग्रेजीमें 35 शब्द प्रति मिनट की गतिसे अथवा हिन्दीमें 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा।  (प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दबाव के औसत से 10500 कुंजी दबाव प्रति घंटाहिन्दी में 9000 कुंजी दबाव प्रति घंटा अंग्रेजी के अनुरूप है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वाराया प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
जी हां, स्तम्भा (10) में उपदर्शित की गई सीमा तक	सीधे भर्ती वालों के लिए दो वर्ष	(i)85 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 में उक्त पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा सहित समूह 'ग' कर्मचारी (गैर औद्योगिक)	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:	लागू नहीं होता

(ii) कुल रिक्तियों का 10 प्रतिशत वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 में समूह 'ग' के कर्मचारियों (गैर औद्योगिक) में से विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ऐसे कर्मचारियों में से भरा जाएगा जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता वाले हों तथा जिन्होंने उक्त वेतन मैट्रिक्स में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष)

(iii) 5 प्रतिशत समूह 'ग' कर्मचारियों (गैर औद्योगिक) में से भरा जाएगा जिनकी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 में उक्त पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा है जैसा कि सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए कॉलम 7 में निर्दिष्ट है।

उपरोक्त (ii) और (iii) के असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा

**टिप्पण:** यदि परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी अर्हता प्राप्त करते हैं, ऐसे अधिक कर्मचारियों पर बाद के वर्षों में रिक्त होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्व परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पहले विचार किया जाए।

#### **टिप्पण-1:**

जहां प्रोन्नति के लिए ऐसे कनिष्ठों जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा एक वर्ष से अधिक कम न हो तथा उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि यदि विहित है सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

#### **टिप्पणी-2:**

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए 01 जनवरी, 2016 या वह तिथि जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी

#### **विभागीय अर्हक परीक्षा:**

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में समूह 'ग' (गैर आद्योगिक) कर्मचारी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष अर्हता रखते हैं तथा जिन्होंने इस वेतन ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।

#### **समावेशन:**

सीधी भर्ती से पहले एल.डी.क्लर्क के पद पर समावेश के लिए एमटीएस (लेवल -1) यानी ग्रुप 'सी' (गैर-औद्योगिक कर्मचारी) के पद रखने वाले अधिकारियों को एक बार की छूट दी जा सकती है।

1 उप-निदेशक (प्रशासन/ मुख्यालय) महाप्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय  
—अध्यक्ष

2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या प्रौद्योगिकीविद

—सदस्य

3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)

—सदस्य

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. आशुलिपिक ग्रेड II	05 (पाँच) (2024) (कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच।  (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 तक शिथिलनीय है)  <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण।  (ii) दक्षता परीक्षा के मानदंड: <b>श्रुतलेख:</b> 10 मिनट 80 शब्द प्रति मिनट। <b>प्रतिलेखन:</b> कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी)

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से।  <b>टिप्पण:</b>  प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत पदधारी द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि की छुट्टी के कारण हुई रिक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय सरकार में नियमित आधार पर सदश पद धारण कर रहे अधिकारियों जो स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों में से भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

**अनुसूची**

पद का नाम	पदसंख्या	वर्गीकरण	वेतनमैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. भेषजी	08* (2023)  (कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (Rs.2920 0-92300)	लागू नहीं होता	18 से 30 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शीथिलनीय हैं) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेशके लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, संघक्षेत्र अण्डमानऔर निकोबार द्वीप समूह या संघक्षेत्र लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं)	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं तथा साथ में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मैसी में 2 वर्ष का डिप्लोमा तथा भेषजी परिषद या राज्य भारतीय भेषजी परिषद में रजिस्टर्ड। (ii) <b>अनुभव:</b> किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान में संगत क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव।



क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं वांछनीय शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों पर भी लागू हैं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है तो	भर्ती का तरीका। सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा एवं विभिन्न माध्यमों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	विभागीय प्रोन्नति समिति यदि है तो उसकी क्या संरचना है	परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने से संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता है
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती वालों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्तशासी निकायों या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी: क.(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं, (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले पदधारी</p> <p>ख.स्तंभ 7 के अंतर्गत सीधीभर्ती वालों के लिए विहित अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों।</p> <p><b>टिप्पण1:</b></p> <p>प्रतिनियुक्ति/आमेलनपर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उद्देश्य हेतु 01 जनवरी, 2016 या वह तिथि जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा का उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p>टिप्पणी 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>	<p><b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</b></p> <p>1. उप निदेशक (प्रशासन/मुख्यालय) अथवा महाप्रबंधक अथवा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय – <b>अध्यक्ष</b></p> <p>2. वरिष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद्)- <b>सदस्य</b></p> <p>3. वरिष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - <b>सदस्य</b></p>	लागू नहीं होता

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. सहायक केयरटेकर	चार 04* (2024)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900- 63,200/- रु)	लागू नहीं	सताईस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी को चालीस वर्ष तक छूट दी जा सकती है।) <b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या समकक्ष से इंटरमीडियट या समकक्ष; (2) कार्यालय भवन के रखरखाव तथा देखभाल का दो वर्ष का अनुभव। <b>वांछनीय:</b> किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्वच्छता में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं वांछनीय शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नत कार्मिकों पर भी लागू हैं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है तो	भर्ती का तरीका। सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेश न द्वारा एवं विभिन्न माध्यमों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	विभागीय प्रोन्नति समिति यदि है तो उसकी क्या संरचना है	परिस्थितियों जिनमें भर्ती करने से संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता हैं
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	100% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p><b>प्रतिनियुक्ति:—</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार का अधिकारी</p> <p>(क) नियमित आधार पर सदृश पदधारी हो</p> <p>(ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900/-) में पदधारी हो तथा साथ में कार्यालय भवन के रखरखाव तथा देखभाल के तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पणी—</b>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति/ पुष्टि समिति में निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उप निदेशक (प्रशासन/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय</li> <li>ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या प्रौद्योगिकीविद</li> <li>ज्येष्ठतम सहायक प्रबन्धक (प्रशासनिक)</li> </ol> <p><b>—अध्यक्ष</b></p> <p><b>—सदस्य</b></p> <p><b>—सदस्य</b></p> <p><b>टिप्पण—</b>यदि किसी मुद्रणालय का उपरोक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं है, इसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी अधिकारी जो समीप की किसी अन्य प्रैस में नियमित आधार पर इसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी संदर्भ के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है। समीप का प्रैस वह है जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. सेक्शन होल्डर (जिल्दसाजी)	उन्नतीस (29)* (2024)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (पर्यवेक्षी) अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का पांचवां स्तर (29200-92300/- रु.)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच।  (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  <u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।)  <u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक:  (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2  (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या सम तुल्य।  (iii) किसी विधिक अस्तित्व वाले मुद्रणालय या संस्था में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव जिसके अन्तर्गत किसी मुद्रणालय के जिल्दसाजी अनुभाग में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव हो।  <u>टिप्पण 1:-</u> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।  <u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p><b>प्रोन्नति</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के चौथे स्तर (25500-81100/- रुपये) में ऐसे जिन्दसाज जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर बाइंडर के ग्रेड में नियमित सेवा के साथ पे लेवल-2 (रु. 19900-63200) में बाइंडर और असिस्टेंट बाइंडर की तेरह साल की संयुक्त सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी-1:</b></p> <p>जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पणी-2:</b></p> <p>प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(i) जो वेतन मैट्रिक्स के 5वें स्तर (29,200-92,300/- रु) में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति /विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद - सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य</li> </ol> <p>टिप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता

		<p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के चौथे स्तर (25,500-81,100/- रु) में उस श्रेणी में पाँच नियमित सेवा की है और जिन्होंने जिलदसाजी का दो वर्षों का अनुभव प्राप्त हो</p> <p><b>टिप्पणी -1:</b> पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी -2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी -4:</b> प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण वेतन मैट्रिक्स के स्तर में सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाए गए वेतन मैट्रिक्स में इसी स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. जिल्दसाज	एक सौ तीस (130)* (2024)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (25,500-81,100 रुपये)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)  <u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।  <u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं पास) या समतुल्य और (ii) कानूनी इकाई वाले प्रिंटिंग प्रेस में दो साल के अनुभव के साथ बाइंडिंग ट्रेड में आईटीआई का एनसीवीटी प्रमाणपत्र (अथवा) (ii) बाइंडिंग ट्रेड में प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के तहत प्रशिक्षुता के सफल समापन का प्रमाण पत्र / कानूनी इकाई वाले प्रिंटिंग प्रेस में तीन साल के कार्य अनुभव के साथ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी (बाइंडिंग ट्रेड) में 12वीं कक्षा के स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के सफल समापन का प्रमाण पत्र; और (iii) संबंधित ट्रेड में ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करना।  <u>वांछनीय:</u> किसी मुद्रणालय अथवा वैधानिक संस्थान के जिल्दसाजी अनुभाग में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव।  <u>टिप्पण 1:-</u> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।  <u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10 )	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	<p>(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा;</p> <p>(ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p> <p>(ऐसे कर्मियों को वरीयता दी जाएगी जिन्हें समान ग्रेड स्तर पर अधिशेष कार्यबल घोषित किया गया है और जिनका पुनर्नियोजन/पुनरपदचयन होना है।)</p>	<p><u>प्रोन्नति:</u> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19900-63200 रु) में ग्रेड में आठ वर्षों की नियमित सेवा कर चुके सहायक जिल्दसाज जिन्होंने ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया है।</p> <p><b>टिप्पणी-1</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -</p>	<p><b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक -अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)</li> </ol> <p><b>-सदस्य</b></p> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह है जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता



		<p>(i) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (25500-81100 रु) में नियमित आधार पर सहश पद धारण किए हुए हैं अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में नियमित आधार पर उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>(ii) बाइंडिंग कार्य में दो वर्ष का अनुभव</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने कि पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी 4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद ( उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. सहायक जिल्दसाज	दो सौ बासठ (262)* (2024)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल) अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 2 (19,900-63,200 रुपये)	अचयन पद	<p>18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)</p> <p>टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।</p> <p>टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन (दसवीं पास) या समतुल्य और</p> <p>(ii) जिल्दसाजी व्यवसाय में शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षुता सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र; या</p> <p>(iii) मुद्रण प्रौद्योगिकी के किसी जिल्दसाजी व्यवसाय में 12वीं स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र।</p> <p>(iv) संबंधित ट्रेड में ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करना।</p> <p>टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है</p>

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10 )	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	<p>(i) 15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा;</p> <p>(ii) 10 प्रतिशत मुद्रणालय के श्रेणी 'ग' अनौद्योगिक कर्मचारियों (लेवल-1) से प्रोन्नति द्वारा, ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने पर।</p> <p>(iii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति</p> <p>(i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु) में ऐसे श्रमिक (औद्योगिक परिचर) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए जिल्दसाजी अनुभाग में काम करने के लिए नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है और ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने पर।</p> <p>(ii) मुद्रणालय के स्तर 1 के ग्रेड 'सी' गैर औद्योगिक कार्मिक जिन्होंने नियमित आधार पर पदोन्नति पश्चात वेतन मैट्रिक्स के पहले स्तर में (18000-56900 रु) व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी-1</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता</p>	<p><b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक -अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद -सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</li> </ol> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक -अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक या सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या कार्यालय प्रभारी प्रौद्योगिकीविद -सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</li> </ol> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा</p>	लागू नहीं होता

			<p>सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित हैं।</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9. प्रधान मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्द-साजी)	चार (04) * (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (पर्यवेक्षी) अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में 5वां स्तर (29,200/- - 92300/-)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण 1:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	अवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा; (iii) किसी विधिक अस्तित्व वाली संस्था/मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे सहबद्ध उपस्करों के रख-रखाव/मरम्मत करने का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: (i) मुद्रण तथा जिल्दसाजी उपस्करों में प्रयोग होने वाले विद्युत या इलेक्ट्रानिक संघटकों का ज्ञान।  टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

<p>लागू नहीं होता</p>	<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p><b>प्रोन्नति:-</b>  वेतन मैट्रिक्स के चौथे स्तर (25,500/- - 81,100/-) में ऐसे मैकेनिक (मुद्रण एवं जिन्दसाज) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी-1:</b>  जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी-2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b>  केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -  (i) मूल काडर में मैकेनिकल मरम्मत कार्य में दो वर्षों के अनुभव सहित नियमित आधार पर सट्टा पदधारी अथवा जो वेतन मैट्रिक्स के पाँचवें स्तर में नियमित आधार पर प्रधान मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्द - साजी) पदधारण किए हुए हैं या  (ii) वेतन मैट्रिक्स के चौथे स्तर में ऐसे मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी) जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पणी -1: पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी -2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहनय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी -3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पणी -4: प्रतिनियुक्ति या आमेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशाके, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण वेतन मैट्रिक्स के स्तर में सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाए गए वेतन मैट्रिक्स में इसी स्तर पर की गई सेवा माना जाएगा।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति /विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद - सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य</li> </ol> <p>टिप्पण-यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित हैं।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>
-----------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. मैकेनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी)	बारह (12)* (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित, अननुसचिवीय अति कुशल कर्मकार श्रेणी ।	वेतन मैट्रिक्स में चौथा स्तर (25,500 – 81,100/-)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। <u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक या विद्युत या इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य; (iii) किसी विधिक अस्तित्व वाली संस्था या मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे सहबद्ध उपस्करों के रख-रखाव या मरम्मत करने का एक वर्ष का अनुभव। (iv) संबंधित ट्रेड में ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करना।  <u>टिप्पण 1:-</u> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। <u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	<p>(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा;</p> <p>(ii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति:</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के दूसरे स्तर (19,900-63200/-) में ऐसे सहायक मैकेनिक (मुद्रण और जिल्दसाजी) जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है जो अर्हक सेवा उत्तीर्ण करने के अधीन हैं।</p> <p><u>टिप्पणी-1:</u></p> <p>जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><u>टिप्पणी-2:</u> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:-</u></p> <p>केन्द्रीय सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी -</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति /विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद - सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य</li> </ol> <p><u>टिप्पण-</u> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता



		<p>(i) जो वेतन मैट्रिक्स के 4थे स्तर (25,500 – 81,100/-) में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं और यांत्रिक मरम्मत कार्य में दो वर्ष का अनुभव है या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के दूसरे (19,900-63200/-) स्तर में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और यह अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन है।</p> <p><u>टिप्पणी -1:</u> पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><u>टिप्पणी -2:</u> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><u>टिप्पणी -3:</u> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><u>टिप्पणी -4:</u> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है।</p>		
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. सहायक मकैनिक (मुद्रण एवं जिल्दसाजी)	अट्ठारह (18)* (2024)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल) अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 2 (19,900-63,200 रुपये)	अचयन पद	<p>18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)</p> <p><u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।</p> <p><u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन (दसवीं पास) या समतुल्य और</p> <p>(ii) किसी वैधानिक अस्तित्व वाले मुद्रणालय से आफसेट मुद्रण के व्यवसाय में एक वर्ष अनुभव सहित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मकैनिकी में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र</p> <p><u>वांछनीय:-</u> किसी विधिक अस्तित्व वाली संस्था या मुद्रणालय में मुद्रण तथा उससे सहबद्ध उपस्करों के रख-रखाव या मरम्मत करने का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><u>टिप्पण 1:-</u> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है</p>

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10 )	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।  (ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।	<p>प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर -1 (18000 - 56900 रुपये) में श्रमिक/औद्योगिक परिचारक, जिन्होंने ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण करने के अधीन नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में तीन साल की नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी-1</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p><b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक -अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद -सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</li> </ol> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. रीडर	उन्नतीस (29)* (2024)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल कर्मकार श्रेणी) अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 4 (25,500-81,100/-)	अचयन पद	21 से 30 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक छूट दी जा सकती है।) <u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।)  <u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<u>अनिवार्य:</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष; (ii) अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा तथा मुद्रणालय में प्रयोग की जा रही एक क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता; और (iii) किसी कानूनी इकाई वाले ऑफसेट मुद्रणालय में प्रूफ रीडिंग का ज्ञान; <u>टिप्पण 1:-</u> अन्यथा पूर्ण रूप से अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट प्रदान की जा सकती है। <u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं)। जब चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, इसकी संरचना क्या है	किन परिस्थितियों में संघ आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	<p>(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर पदोन्नति द्वारा;</p> <p>(ii) 35 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा;</p> <p>(iii) 15 प्रतिशत मुद्रण निदेशालय द्वारा संचालित की जाने वाली विभागीय प्रतियोगी रीडरशिप परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति</p> <p>(i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में (19,900-63,200/- रुपये) कापी होल्डर जिसने इस पद पर नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर आठ वर्ष तक इसी ग्रेड में कार्य किया हो जो व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन है।</p> <p>(ii) कॉपी होल्डर के पद में चार वर्ष की नियमित सेवा करने वाला कापी होल्डर विभागीय प्रतियोगी रीडरशिप परीक्षा के लिए पात्र होगा।</p> <p>टिप्पण-1 जहां प्रोन्नति के लिए ऐसे कनिष्ठों जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है पर विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा इस प्रकार की अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो से अधिक कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठों जिन्होंने इस प्रकार की अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है के साथ-साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण-2 प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उद्देश्य हेतु किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व या उस तारीख से नियमित आधार पर की गई सेवा को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तदनु रूप ग्रेड पे अथवा विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा जिससे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:-</u></p> <p>केन्द्रीय सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी –</p> <p>(विभाग/मुद्रणालय सहित) में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति /विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद - सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य</li> </ol> <p>टिप्पण- यदि किसी मुद्रणालय का उपरोक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं है, इसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी अधिकारी जो समीप की किसी अन्य प्रैस में नियमित आधार पर इसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी संदर्भ के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है। समीप की प्रैस वह है जा प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता

			<p>(अथवा)</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हो व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन है।</p> <p><u>टिप्पण-1</u> फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचारार्थ पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहे अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p><u>टिप्पण-2</u> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><u>टिप्पण-3</u> प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p><u>टिप्पण-4</u> प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा के परिकलन के उद्देश्य हेतु किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व या उस तारीख से नियमित आधार पर की गई सेवा को छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तदनु रूप ग्रेड पे अथवा विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा जिससे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है सिवाय इसके जहां एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमान को एक ग्रेड-पे/वेतनमान वाले एक ग्रेड में समाहित किया गया है तथा जहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड पे/वेतनमान किसी उन्नयन के बिना एक सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. कॉपी होल्डर	उन्नतीस (29)* (2024)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल) अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 2 (19,900-63,200 रुपये)	अचयन पद	21 से ३० वर्ष के बीच।  (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)  <u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।  <u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>आवश्यक:</b> (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; (2) अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा तथा मुद्रणालय में प्रयोग की जा रही एक क्षेत्रीय भाषा में प्रवीणता; और (3) किसी विधिक अस्तित्व वाले किसी मुद्रणालय में प्रूफ रीडर के रूप में एक वर्ष का अनुभव।  <u>टिप्पण 1:-</u> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।  <u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10 )	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	<p><b>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक -अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद -सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</li> </ol> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय पुष्टि समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता



अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. बिजली मिस्त्री	सात (07)* (2024)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (25,500-81,100 रुपये)	अचयन पद	<p>18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)</p> <p><u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p><u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से विद्युत या विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स में तीन वर्ष का डिप्लोमा या समतुल्य; (या)</p> <p>भूमिगत केबल प्रणाली सहित विभिन्न प्रकार के उच्च दाब तथा निम्न दाब वाले दोनों विद्युत प्रतिष्ठान को चलाने या उनके अनुरक्षण के पांच वर्ष के अनुभव के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या विद्युत सक्षमता प्रमाण पत्र।</p> <p><u>टिप्पण 1:-</u> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है</p>

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10 )	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति</b> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2(19,900-63,200 रु) में ऐसे वायरमैन जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष सेवा की नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी-1</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>टिप्पणी-2:</b> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना को विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स के स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b></p>	<p><b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालयके उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक</li> <li>-अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद</li> <li>-सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन)</li> <li>-सदस्य</li> </ol> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता

			<p>केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(i) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200रु) में नियमित आधार पर वायरमैन के पद में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणी 2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी 3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी 4:</b> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>		
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15. वायर मैन	आठ (08)* (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में दूसरा स्तर (19,900 – 63,200/- स्तर)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। <u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं उत्तीर्ण) या समतुल्य; (ii) विद्युत व्यवसाय/वायर मैन व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र; (iii) किसी सुस्थापित विधिक इकाई में सुसंगत क्षेत्र में दो साल का अनुभव ।  <u>टिप्पण 1:-</u> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिष्ठता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	<p>समूह 'ग' विभागीय विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद - सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य</li> </ol> <p><u>टिप्पण-</u> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16. वैल्डर	दस (10)* (2024)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में दूसरा स्तर (19,900 – 63,200/- स्तर)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।) <u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं उत्तीर्ण) या समतुल्य; (ii) वैलडिंग व्यवसाय में किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र; (iii) किसी औद्योगिक इकाई में अथवा विधिक मान्यता की वर्कशाप में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव; <u>टिप्पण 1:-</u> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। <u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिष्ठता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
नहीं	दो वर्ष	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	<p>समूह 'ग' विभागीय विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद - सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य</li> </ol> <p><u>टिप्पण:</u> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. मशीन सहायक (आफ-सेट)	वहतर (72)* (2024)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में 4 स्तर (25,500 - 81,100/-)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। <u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक:  (i) मान्यता प्राप्त संस्थान से मुद्रण तकनीक अथवा समतुल्य में नियमित तीन वर्षीय डिप्लोमा और (ii) एकल तथा बहुरंगी मुद्रण कार्य करने के लिए आफ-सेट मशीन के प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव।  अथवा (i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या बोर्ड से (10 + 2); (ii) शिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन आफ-सेट मशीन में शिक्षुता सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र; (iii) एकल तथा बहुरंगी मुद्रण कार्य करने के लिए आफ-सेट मशीन के प्रचालन का पाँच वर्ष का अनुभव। <u>टिप्पण 1:-</u> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।



सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	<p>(i) 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनों के न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p> <p>(ii) 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति</p> <p>ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने के अधीन नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 में आठ साल की नियमित सेवा के साथ ऑफसेट मशीन अटेंडेंट।</p> <p><u>टिप्पणी-1:</u></p> <p>जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><u>टिप्पणी-2:</u> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:-</u></p> <p>केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकाय अथवा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी (विभाग/मुद्रणालय सहित) जो नियमित सदृश पदधारी हैं।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति /विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद - सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य</li> </ol> <p><u>टिप्पण-</u> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता

			<p>(अथवा)</p> <p>जो व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते नियमित आधार पर आफसेट मशीन परिचर पदधारण किए हुए हैं और वेतन मैट्रिक्स के दूसरे स्तर में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><u>टिप्पणी-1:</u> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन कि लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है।</p> <p><u>टिप्पणी-2:</u> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जो पाँच वर्ष तक विस्तार किया जा सकता है।</p> <p><u>टिप्पणी-3:</u> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><u>समावेशन:</u></p> <p>ऐसे कार्मिक जो समतुल्य ग्रेड में सदृश पदधारी हैं और आफसेट मशीन परिचालन के कार्य में छह माह का प्रशिषण सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं और ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने के अधीन।</p>		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18. मशीन परिचर (आफ-सेट)	छिहत्तर (76)* (2024)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल), अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में 2 स्तर (19,900 - 63,200/-)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। <u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मेट्रीकुलेशन या समतुल्य; (ii) शिक्षा अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन आफ-सेट मशीन में शिक्षुता सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र; (iii) एकल तथा बहुरंगी मुद्रण कार्य करने के लिए आफ-सेट मशीन के प्रचालन का एक वर्ष का अनुभव। <u>टिप्पण 1:-</u> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i)15 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii)85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स के पहले स्तर में ऐसे श्रमिक (औद्योगिक परिचर) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए नियमित आधार पर नियुक्त के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है। <u>टिप्पणी-1:</u> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। <u>टिप्पणी-2:</u> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।  <u>प्रतिनियुक्ति:-</u> केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी - (i) जो वेतन मैट्रिक्स के दूसरे स्तर (19,900 -63,200/-) में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं या	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति /विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:  1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष  2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद - सदस्य  3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य  <u>टिप्पण-</u> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।	लागू नहीं होता

		<p>(ii) जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए वेतन मैट्रिक्स के पहले स्तर (18,000-56,900/-) में श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p><u>टिप्पणी-1:</u> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><u>टिप्पणी-2:</u> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><u>टिप्पणी-3:</u> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><u>टिप्पणी-4:</u> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले (उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण वेतन मैट्रिक्स में स्तर सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है।</p> <p><u>समावेशन:</u></p> <p>ऐसे कार्मिक जो समतुल्य ग्रेड में सदृश पदधारी हैं और आफसेट मशीन परिचालन के कार्य में 03 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं और ट्रेड टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने के अधीन।</p>		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19. सिल्क स्क्रीन प्रचालक	दो (2)* (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अति कुशल) अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का चौथा स्तर (25,500-81,100/- रु)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) <u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं। <u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थानय/विश्वविद्यालय से मुद्रण तकनीक में तीन वर्षीय नियमित डिप्लोमा साथ ही विधिक अस्तित्व वाली संस्था/मुद्रणालय में मुद्रण सिल्क स्क्रीन मुद्रण कार्य करते हुए सिल्क स्क्रीन मुद्रण प्रक्रिया का एक वर्ष का अनुभव। या (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य और जिनके पास एकल तथा बहुरंगी सिल्क स्क्रीन मुद्रण कार्य करते हुए सिल्क स्क्रीन मुद्रण प्रक्रिया का पांच वर्ष का अनुभव। या (iii) शिक्षा अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षता के सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र और स्क्रीन प्रिंटिंग कार्य में दो वर्ष का अनुभव। <u>टिप्पण 1:-</u> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। <u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जायें कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	<p><u>प्रोन्नति</u></p> <p>(i) वेतन मैट्रिक्स के दूसरे स्तर (19,900-63,200 रु) में ऐसे सहायक स्क्रीन आपरेटर जिन्होंने व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के अधीन रहते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p><u>टिप्पणी-1:</u></p> <p>जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले हो पूरी कर ली है अगली उच्चता श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p><u>टिप्पणी-2:</u> प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनराक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तार तत्स्थायी वेतन मैट्रिक्स में स्तर में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति /विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद - सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य</li> </ol> <p><u>टिप्पण -</u> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित हैं।</p>	लागू नहीं होता

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20. सहायक स्क्रीन प्रचालक	दो (02)* (2024)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (कुशल) अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 2 (19,900-63,200 रुपये)	लागू नहीं	<p>18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)</p> <p><u>टिप्पण 1:-</u> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p><u>टिप्पण 2:-</u> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>आवश्यक:</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (दसवीं पास) या समतुल्य और (ii) जिनके पास एकल तथा बहुरंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कार्य करते हुए सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया के प्रचालन का तीन वर्ष का अनुभव; (या) प्रशिक्षु अधिनियम 1961 (1961 का 52) के अधीन शिक्षुता के सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र सहित सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का एक वर्ष का अनुभव।</p> <p><u>टिप्पण 1:-</u> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><u>टिप्पण 2:-</u> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम अधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है</p>



सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10 )	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	<p><b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उपनिदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक -अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/प्रौद्योगिकीविद -सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) -सदस्य</li> </ol> <p><b>टिप्पण-</b> यदि किसी मुद्रणालय का पूर्वोक्त पदधारी उपलब्ध नहीं है, तो उसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी जो समीप के किसी अन्य मुद्रणालय में नियमित आधार पर उसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी निबंधनों के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है तथा समीप के मुद्रणालय वह हैं जो प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21. सहायक निरीक्षक नियंत्रण	एक (01)* (2023) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स का पाँचवाँ स्तर (29,200/- 92,300/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	शत- प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी-</p> <p>(i) जो सट्टा पदधारण किए हुए हैं;</p> <p>(अथवा)</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के पाँचवें स्तर में सैक्शन होल्डर (जिल्दसाजी)</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स के 4थे स्तर में ग्रेड में पाँच वर्षों की नियमित सेवा सहित मुद्रणालय में जिल्दसाज़, रीडर अथवा आफसेट मशीन सहायक।</p> <p><u>टिप्पणी -1:</u> पोशक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><u>टिप्पणी -2:</u> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्यनय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तथा तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><u>टिप्पणी -3:</u> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><u>टिप्पणी -4:</u> प्रतिनियुक्ति या आवेदन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जायेगी।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय चयन समिति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भारत सरकार मुद्रणालय के उप निदेशक (प्रशा/कार्यालय प्रमुख) अथवा महा प्रबंधक या प्रबंधक - अध्यक्ष</li> <li>2. ज्येष्ठतम उप प्रबंधक/ प्रौद्योगिकीविद - सदस्य</li> <li>3. ज्येष्ठतम सहायक प्रबंधक (प्रशासन) - सदस्य</li> </ol> <p><u>टिप्पण-</u> यदि किसी मुद्रणालय का उपरोक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं है, इसी पदनाम तथा हैसियत का ऐसा पदधारी अधिकारी जो समीप की किसी अन्य प्रेस में नियमित आधार पर इसी हैसियत से कार्य कर रहा है को मुद्रण निदेशालय के किसी संदर्भ के बिना विभागीय प्रोन्नति समिति में शामिल किया जा सकता है। समीप की प्रेस वह है जा प्रोन्नति पर विचार कर रहे मुद्रणालय से सबसे कम दूरी पर स्थित है।</p>	लागू नहीं होता



## SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruit	Educational and other qualifications for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Upper Division Clerk.	Fifty-seven (57) * (2024) *Subject variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-gazetted, Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500 – 81100)	Non- selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b> Lower Division Clerk in Level-2 in Pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.</p> <p><b>Note2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1<sup>st</sup> January, 2016 or the</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>Senior most Deputy Manager/Assistant Manager (Technical)/ Technologist–Member</li> </ol>	Not applicable.

		<p>date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) holding analogous post on regular basis, or</li> <li>(ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent.</li> </ul> <p><b>Note 1:</b> For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January of 2016 the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruit	Educational and other qualifications for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lower Division Clerk	Eighty-three (83)* (2024)  *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200)	Non Selection	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	12th class pass or equivalent from a recognized Board or University.  Should pass type test with speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer.  (35 w.p.m. in English and 30 w.p.m. in Hindi correspond to 10500 key depressions per hour/ 9000 key depressions per hour on an average of 5 key depressions for each word)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Yes, to the extent indicated in column (10)	Two years for direct recruits	<p>(i) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission.</p> <p>(ii) 5% on the basis of the limited departmental qualifying examination from amongst Group C employees (Non-Industrial) in Level 1 of Pay matrix possessing qualification prescribed for direct recruits under column 7 and have rendered three years regular service in the grade. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years for the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes).</p> <p>iii) Ten percentage by promotion from Group 'C' employees (Non-Industrial) with three years regular service in Level 1 of Pay matrix and possessing qualification prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>Failing (ii) and (iii) above by Direct Recruitment</p> <p><b>Note:</b> If more of such employees than the number of vacancies available qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p>	<p><b>Promotion:</b> Group C employees (non-Industrial) with three years regular service in posts in Level 1 of Pay matrix.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.</p> <p><b>Departmental Qualifying Examination:</b> Group C employees (Non-Industrial) in Level 1 of Pay matrix who possess 12th Std. pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade.</p> <p><b>Absorption:</b> One time relaxation may be granted to Officials holding the posts of MTS (Level-1) i.e. Group 'C' (Non-Industrial employees) for absorption to the post of LDC before Direct Recruitment</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admin./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Senior-most Assistant Manager (Technical)/Technologist– Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol>	Not applicable.



## SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruit	Educational and other qualifications for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer Grade-II	Five (5)* (2024)  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-gazetted, Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500 – 81100)	Not applicable.	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in case of general candidates and forty five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) 12 <sup>th</sup> class pass or equivalent from a recognised Board or University; (ii) Skill Test Norms: Dictation: 10 minutes @ 80 w.p.m. Transcription: 50 minutes (English), 65 minutes (Hindi) on Computer.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years.	By direct recruitment through Staff Selection Commission.  <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the central Government holding analogous posts or regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (7).	Not applicable	Not applicable	Not applicable

### **SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruit	Educational and other qualifications for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pharmacist	8* (2023)  *(subject to variation depending on work load)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the payble matrix (Rs.29200-92300)	Not applicable	Between 18 and 30 years. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi, Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).	(i) 10+2 from a recognized Board or University with Diploma in Pharmacy from a recognized Institution and should have registered with Pharmacy Council of India or State Pharmacy Council.  (ii) Experience: Two years' experience in relevant field in a Government or Semi-Government or Government recognized commercial establishment/hospital.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits	By direct recruitment failing which by deputation.	<p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments,</p> <p>a. Holding analogous posts on regular basis; (or) With five years regular service in Level-4 in Pay Matrix (Rs. 29200-92300); and</p> <p>b. possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits, under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> For purposes of appointment on deputation / absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January of 2016 the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto five years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee or Selection consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Technologist–Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol>	Not applicable.

**SCHEDULE**

Name of the Post	Number of Post	Classification	Pay level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Caretaker	Four (04) * (2024) *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C', Non-gazetted, Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900 – 63200)	Not-applicable	Not exceeding 27 years of age (relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) <b>Note:</b> Crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.	<b>Essential:</b> (i) Intermediate or equivalent from a recognized university/ board or equivalent. (ii) Two years' experience in upkeep and maintenance of Office buildings. <b>Desirable:</b> Diploma or certificate in sanitation from a recognized institute

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for Direct recruits.	100% by deputation failing which by Direct recruitment	<p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government: holding analogous post on regular basis;</p> <p>(or)</p> <p>holding post in Level-1(Rs.18000 – 56900) in Pay matrix with three years' experience in upkeep and maintenance of office buildings.</p> <p><b>Note:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Technologist-Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officers of the same Press is not available, officer, holding a post of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Press, shall be included in the Departmental Promotion Committee, without further reference to Directorate of Printing. Nearest Press shall be the same as nearest in distance from the Press considering the promotions.</p>	Not applicable

### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Section Holder (Binding)	Twenty nine (29)* (2024)  *(subject variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C' (Supervisory) Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300)	Non-selection post	Between 18 and 27 years.  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b> (i) 10 + 2 or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Three years of Diploma in Printing Technology or equivalent from a recognised university or institution and with (iii) Two years of experience of working in a press or institution having legal entity including one year experience in Binding Section of the Press.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years for Direct Recruits	Hundred percent by promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	<p><b>Promotion:</b> Binder in Pay Level-4 (Rs.25500-81100) having five years' regular service in the grade, failing which Binder with combined service of Binder and Assistant Binder in Pay Level-2 (Rs.19900-63200) with thirteen years regular service in the grades.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments-- (i) Holding analogous posts in Pay Level-5 (Rs.29200-92300) on regular basis.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable



		<p>(ii) with five years regular service in the grade of Binder in Pay Level-4 (Rs.25500-81100) and with 2 years experience of Binding work.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto 5 years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Binder	One Hundred and thirty (130)* (2024) *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Non-Selection	Between 18 and 27 years.  (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b> (i) 10 <sup>th</sup> Pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) NCVT Certificate of ITI in Binding Trade with two years' experience in a printing press having legal entity  (or) (iii) Certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) in the binding trade/ Certificate of successful completion of Vocational course at 12th Standard level in Printing Technology (Binding trade) with three years' work experience in a printing press having legal entity; and (iii) Qualifying in the Trade Test in the relevant trade. <b>Desirable:</b> One year experience of working in Binding section in press or institution having legal entity. <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years for direct recruits.	<p>(i) 75% by promotion failing which by direct recruitment;</p> <p>(ii) 25% by direct recruitment failing which by deputation.</p> <p>(Preference will be given to the employees declared surplus in the similar grade and required to be redeployed/ redesignated)</p>	<p><b>Promotion:</b> Assistant Binder in Level-2 (Rs.19900-63200) in Pay matrix with eight years regular service in the grade, subject to qualifying in the Trade Test.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, which ever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government—</p> <p>(i) holding the analogous post in Level-4 (Rs.25500-81100) in Pay matrix on regular basis; or with eight years regular service in the grade in Pay Level-2 in Pay matrix.</p> <p>(ii) with two years experience in Binding work</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admin./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Presses – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Technologist– Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager(Administration) –Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

		<p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Binder	Two hundred sixty-two (262)* (2024)  *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C' (Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200)	Non-selection post	Between 18 and 27 years.  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b> (i) Matriculation (10 <sup>th</sup> Standard) Pass or equivalent from any recognised Board; and A Certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) in the binding trade;  <i>or</i> Certificate of successful completion of Vocational course at 12th Standard level in Printing Technology (Binding trade) or ITI in Binding Trade. (ii) Qualifying in the Trade Test in the Binding trade.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits.	<p>(i) 15% by promotion failing which by direct recruitment.</p> <p>(ii) 10% by promotion from Grade 'C' Non-Industrial employees (Level-1) of the Press subject to qualifying the Trade Test failing which by Direct Recruitment.</p> <p>(iii) 75% by direct recruitment failing which by promotion.</p>	<p><b>Promotion:</b></p> <p>(i) Labourer (Industrial Attendant) in Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying in the trade test.</p> <p>(ii) Grade 'C' Non-Industrial employees of the Press in Level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying the trade test.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Head Mechanic (Printing and Binding)	Four (04)* (2024) *(subject to variation dependant on work load)	General Central Service, Group C' (Supervisory), Non-gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300)	Non-selection	Between 18 and 27 years  (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b> (i) 10 + 2 Pass or equivalent from a recognized Board or University. (ii) Three years regular Diploma in Mechanical or Electrical or Electronics engineering from a recognized university or institution; (iii) three years of experience in maintenance/repairing of printing and allied equipments in an institution or press having legal entity.  <b>Desirable:</b> (i) Knowledge of electric or electronic components used in printing and bindery equipments;  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Mechanic (Printing and Binding) in Level-4 in Pay Matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments -</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in parent cadre with two years experience in handling mechanical repair works or the post of Head Mechanic (Printing and Binding) in Pay Level-5 on regular basis; or</p> <p>(b) Mechanic (Printing and Binding) in Pay Level-4 with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Technologist-Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable



		<p>appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto five years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mechanic (Printing and Binding)	Twelve (12)* (2024)  *(subject to variation dependent on work load.)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Non-selection	Between 18 and 27 years.  (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:- In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b> (i) 10 + 2 Pass or equivalent from a recognized Board or University (ii) Three years regular diploma in Mechanical or Electrical or Electronic Engineering from a recognized university or institution or equivalent; (iii) one year experience in maintenance or repairing of Printing and Allied equipment's in an Institution or Press having legal entity; and (iv) qualifying in the Trade Test in the relevant Trade.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for Direct recruitment.	<p>(i) 75% by promotion failing which by direct recruitment failing both by deputation.</p> <p>(ii) 25% by Direct recruitment failing which by Promotion</p>	<p><b>Promotion:</b> Assistant Mechanic (Printing &amp; Binding) in Pay Level-2 (Rs.19900 – 63200) in the pay matrix with eight years of service in that grade subject to qualifying in Trade Test.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments-- (i) holding analogous post in Level-4 (Rs.25500-81100) in Pay matrix on regular basis with two years experience of Mechanical repair work; or</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Assistant Manager (Technical)/ Technologist–Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

(ii) with eight years regular service in the grade in Pay Level-2 (Rs.19900 – 63200) and subject to qualifying in the trade test.

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.

**Note 2:** Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto five years.

**Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

**Note 4:** For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Mechanic and Binding)	Eighteen (18)* (2024)  *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C' (Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900 - 63200)	Non-selection post	Between 18 and 27 years.  (Upper age limit is relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b> (i) Pass in the Matric (10 <sup>th</sup> Standard) examination; and (ii) National Trade Certificate in Mechanic from an Industrial Training Institute with one year experience in Offset Printing Press having legal entity. <b>Desirable:</b> One years' experience in maintenance or repairing of Printing and Allied equipment's in an Institute or Press of having legal entity. <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years for direct recruits	<p>i) 25% by promotion failing which by direct recruitment</p> <p>ii) 75% by Direct Recruitment failing which by promotion</p>	<p><b>Promotion:</b>            Labourer/Industrial attendants in Pay Level-1 in pay matrix (Rs.18000 – 56900) having three years regular service in the grade rendered after appointment there to on regular basis subject to qualifying the Trade Test.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level In Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Reader	Twenty-nine (29) * (2024)  *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Non-selection post	Between 21 and 30 years.  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b>  i. Degree from a recognized University or equivalent;  (ii) Proficiency in English and Hindi language and one regional language which is used in the Printing press, and  (iii) Having two years experience of Proof reading in an Offset Press having legal entity.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years for direct recruits	<p>(i) 50 % by direct recruitment failing which by promotion;</p> <p>(ii) 35% by promotion failing which by deputation failing both by Direct Recruitment</p> <p>(iii) 15% by promotion through Departmental Competitive Readership Examination conducted by the Directorate of Printing.</p>	<p><b>Promotion:</b></p> <p>(i) Copy Holder in Pay Level-2 (Rs.19900-63200) with eight year of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying in the Trade Test;</p> <p>(ii) Copy holder having four years regular service in the grade, shall be eligible for the Departmental Competitive Readership Examination.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments--</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable



		<p>(including the Department/Press) holding analogous post on regular basis.</p> <p>(or)</p> <p>Holding a post of Copy Holder in level 2 in pay matrix having eight years regular service subject to qualifying in the Trade Test.</p> <p><b>Note 1:</b> For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January of 2016 the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations.</p> <p><b>Note 2:</b> period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto five years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Absorption:</b> Officials holding the posts in equivalent grade and have successfully completed training in operation of Offset Machine for six months.</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Copy Holder	Twenty nine (29)* (2024)  *(subject to variation dependant on work load)	General Central Service, Group 'C' (Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200)	Non selection post	Between 21 and 30 years.  (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b> (1) Degree from a recognized University or Equivalent; (2) proficiency in English and Hindi Language and one Regional Language which is used in the Press; and (3) one year experience as Proof Reader in a Press having legal entity. <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits	100% by Direct recruitment	Not applicable	<b>Group 'C' Confirmation Committee consisting of:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Electrician	Seven (07) * (2024)  *(subject variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Non-selection	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b> (i) 10 + 2 Pass or equivalent from a recognized Board or University (ii) Three years regular Diploma in Electrical or Electrical and Electronics Engineering from a recognized institution or university or equivalent with one year experience;  (or) Industrial Training Institute Certificate in Electrical Trade or Electrical Certificate of Competency and having five years of experience of running or maintenance of different types of both high tension and low-tension electrical installations including underground cable system.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct Recruits.	100% by promotion failing which by deputation failing both by Direct recruitment.	<p><b>Promotion:</b> Wireman in Pay Level-2 in the pay matrix (Rs.19900 – 63200) with eight years regular service in the grade subject to qualifying in the trade test.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments —</p> <p>(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with eight years regular service in the grade of Wireman in the Pay Level-2 (19900 – 63200).</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) – Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

		<p>deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years extendable upto five years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Wireman	Eight (08)* (2024)  *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' (Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 in the pay matrix (Rs.19900 - 63200)	Non-Selection post	Between 18 and 27 years.  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b>  (i) Matriculation (10th Standard) pass from recognized Board or equivalent; (ii) Certificate of Industrial Training Institute in Electrical/Wireman trade; (iii) Two years' experience in the relevant field from a reputed firm of legal entity.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates belonging to Schedule Caste or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years	100% by Direct recruitment	Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable



### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Welder	One (01) (2024) *  *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C'(Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)	Not-applicable	Between 18 to 27 years.  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b> (i) Matriculation (10 <sup>th</sup> Standard) Pass or equivalent from any recognised Board; with (ii) Industrial Training Institute Certificate in welder trade from recognised Industrial Training Institute; (iii) should have at least three years' experience as welder in an industry or workshop established in accordance with law  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits.	100% by direct recruitment	Not applicable	<p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Senior-most Assistant Manager (Technical)/Technologist-Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Offset Machine Assistant	Seventy Two (72)* (2024) *(subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled) Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Non-Selection	Between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)  In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(i) Regular three-year Diploma in Printing Technology or equivalent from a recognized institution; and (ii) Three years working experience on Offset Machine doing single and multi-colour printing work.  (or) (i) 10+2 from recognized School or Board; (ii) Certificate of successful completion of Apprenticeship in Offset Machine under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961); and (iii) Five years' experience in operation of Offset Machine doing single and multi-colour printing work.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a departmental promotion committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be
--------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.		deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.			consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years for direct recruits	(i) 33% by promotion failing which by direct recruitment failing both by deputation.  (ii) 67% by direct recruitment failing which by promotion.	<p><b>Promotion:</b> Offset Machine Attendant with eight years regular service in Level 2 in the pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying in the Trade Test.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the Pay Matrix extended based on the recommendations of the pay commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments --(including the Department/Press) holding analogous post on regular basis.</p> <p>(or)</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/Technologist–Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration)–Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable.

		<p>Holding a post of Offset Machine Attendant in level 2 in pay matrix having eight years regular service.</p> <p><b>Note 1:</b> For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1<sup>st</sup> January of 2016 the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations.</p> <p><b>Note 2:</b> period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto five years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Absorption:</b> Officials holding the posts in equivalent grade and have successfully completed training in operation of Offset Machine for six months and qualifying in Trade Test.</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Machine Attendant (Offset)	Seventy-Six (76) * (2024)  *(subject to variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C' (Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200)	Not applicable.	Between 18 and 27 years.  (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b> (i) Matriculation from recognized Board or equivalent; (ii) certificate of successful completion of apprenticeship in Offset Machine Minder under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) or equivalent course under ITI; and (iii) one year experience in operation of Offset Machine doing single and multi-colour printing work from a Printing Press having legal entity.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits.	<p>(i) 15% by promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment</p> <p>(ii) 85% by direct recruitment failing which by promotion.</p>	<p><b>Promotion:</b> Labourer (Industrial Attendant) in Pay Level-1 (18000-56900) with three years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis subject to qualifying in the trade test.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p><b>Deputation:</b> Officers of the Central Government -</p> <p>(i) holding the analogous post in Pay Level-2 (Rs.19900-63200) on regular service; or</p> <p>(ii) with three years regular service in the grade in Pay Level-1 (Rs.18000-56900) subject to qualifying trade test.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for</p>	<p><b>Group 'C' Departmental Promotion/Confirmation Committee consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/Technologist–Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

		<p>appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto five years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b>Note 4:</b> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p> <p><b>Absorption:</b></p> <p>Officials holding the posts in equivalent grade and have successfully completed training in operation of Offset Machine for three months subject to qualifying in Trade Test.</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Pay level in the Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Silk Screen Operator	Two (02)* (2024)  *(subject variation dependent on work load)	General Central Service, Group 'C' (Highly Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Not applicable.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b> (i) Three years regular Diploma in printing technology from recognized Institute/University with one year experience in a Screen-printing work press having legal entity (or) 12 <sup>th</sup> standard pass or equivalent from a recognized Board or equivalent and having five years of experience in Screen Printing Work doing single and multi-colour Silk Screen printing work; (or) A certificate of successful completion of Apprenticeship under Apprenticeship Act 1961 (52 of 1961) in the relevant Trade with two years of experience in Screen printing work.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No	Two years for Direct Recruits.	100 % by promotion failing which by Direct recruitment	<p><b>Promotion:</b> Assistant Silk Screen Operator in Pay Level-2 (Rs.19900-63200) with eight years regular service in the grade subject to qualifying in the Trade Test.</p> <p><b>Note 1:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note 2:</b> For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p>	<p><b>Group 'C' Promotion/ Confirmation Committee consisting of:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/Technologist– Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol> <p><b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable

### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Silk Screen Operator	Two (02)* (2024)  *(subject to variation dependant on work load)	General Central Service, Group 'C' (Skilled), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 in the pay matrix (Rs.19900 - 63200)	Not applicable.	Between 18 and 27 years.  (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)  <b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).  <b>Note 2:</b> In the case of recruitment through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	<b>Essential:</b> (i) 10 <sup>th</sup> Standard pass or equivalent from a recognized Board or equivalent; and (ii) Having three years of experience in operation of Silk Screen Printing Process doing single and multi-colour Silk Screen printing work; (or) A certificate of successful completion of Apprenticeship under the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) in the relevant Trade and one year experience of Silk screen printing.  <b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for direct recruits.	Hundred percent (100%) by direct recruitment	Not applicable	<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Technologist–Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol> <b>Note:</b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.	Not applicable

**SCHEDULE**

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay level in Pay matrix	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Asstt. Inspector (Control)	One (01)* (2023) *(subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200 – 92300)	Non-Applicable	Not-Applicable	Not-Applicable	Not-Applicable

Period of probation, if any,	Method of recruitment, whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not-Applicable	100% by Deputation	<p><b><u>Deputation:</u></b></p> <p>Officers of Central Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or State Governments:</p> <p>(i) Holding analogous posts (OR)  (ii) Section Holder (Bindery) in Level-5 of the Pay matrix (OR)  (iii) Holding a post in the Press as Binder, Reader and Offset Machine Assistant in Level-4 of the Pay matrix with five years regular service in the grade.</p> <p><b><u>Note 1:</u></b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p> <p><b><u>Note 2:</u></b> Period of deputation including period of deputation in any other ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, extendable upto five years.</p> <p><b><u>Note 3:</u></b> The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p><b><u>Note 4:</u></b> For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Pay Commission's Recommendations been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>Group 'C' Selection Committee consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Director (Admn./Head Office) or General Manager or Manager of Government of India Press – Chairman</li> <li>2. Senior most Deputy Manager/ Technologist-Member</li> <li>3. Senior most Assistant Manager (Administration) –Member</li> </ol> <p><b><u>Note:</u></b> If any of the aforesaid officials of the same Press are not available, officials holding posts of the same designation and status on regular basis in other nearest sister Presses shall be included in the composition of the aforesaid Committee and nearest Press is to be decided in terms of the distance.</p>	Not applicable